संख्या–सी0एम0–50/45वि/2018–7(15)वि/2015

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग,

लखनऊ::दिनांक :18 दिसम्बर, 2018

विषयः रिमोट सेन्सिंग, जी.आई.एस. एवं जी.पी.एस. तकनीक का उपयोग करके रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उत्तर प्रदेश द्वारा सृजित किये गये डिजिटल डाटा बेस का विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं में उपयोग करने तथा उक्त तकनीक से संबधित समस्त कार्य रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से कराये जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पार्श्वांकित पत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्रों द्वारा शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिवों को प्रदेश में रिमोट सेन्सिंग, इमेज प्रोसेसिंग एवं जी.आई.एस. डिजीटल मैपिंग का कार्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, उ0प्र0 से कराये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे ।

1. पत्र संख्या–3250/54.2.2000/7 (76)/2000 दिनांक 25.09.2000
2. पत्र संख्या–1806/45वि/2004 दिनांक 17.09.2004
3. पत्र संख्या–1239/45वि/ 2013–6(2)वि/2002 दिनांक 05.08.2013
4. पत्र संख्या–1548/45वि/ 2015–7(15)वि/2015 दिनांक 25.01.2016

2– शासन के संज्ञान में आया है कि अभी भी विभिन्न विभागों द्वारा रिमोट सेन्सिंग एवं जी.आई.एस. तकनीक से सबंधित कार्य रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उत्तर प्रदेश के माध्यम से न करवाकर प्राइवेट संस्थाओं से कराये जा रहे हैं। उक्त के क्रम में पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि शासन के समस्त विभाग अपनी योजनाओं/कार्यकलापों में रिमोट सेन्सिंग एवं जी.आई.एस. से संबंधित कार्य रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ.प्र., लखनऊ के माध्यम से ही कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त विभागों द्वारा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ.प्र. से समन्वय स्थापित करते हुये विभागीय कार्यकलापों में रिमोट सेन्सिंग, जी.आई.एस. एवं लिडार तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करने का प्रयास किया जाये।

3– समस्त उपयोगकर्ता विभागों के विभागाध्यक्षों से अपेक्षा है कि आर.एस.ए.सी–उ.प्र. को उनके विभाग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के लिये पत्र भेज कर अनुरोध करें। साथ ही अपने विभागीय अधिकारियों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु नामित भी करें ताकि आधुनिकतम् तकनीक के माध्यम से सृजित किये गये डिजिटल डाटाबेस का उपयोग ग्राम्य स्तर तक प्रभावी रूप से किया जा सके। साथ ही समस्त उपयोगकर्ता विभाग अपने विभागीय बजट में रिमोट सेन्सिंग, जी0आई0एस0 एवं लिडार तकनीक के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों संबंधी "मद" को पृथक रूप से अवश्य सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि उक्त प्रकार के कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने में संबंधित विभाग को समुचित वित्तीय संसाधन प्राप्त हो सकें।

4– रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ.प्र., द्वारा विशिष्ट योग्यता एवं अनुभव प्राप्त वैज्ञानिकों तथा समुचित संसाधनों के माध्यम से रिमोट सेन्सिंग, जी0आई0एस0, जी.पी.एस. एवं लिडार तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य संपादित किये जा रहे हैं। उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या– 1548/45वि/2015–7(15)वि/2015 दिनांक 25.01.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा प्रादेशिक स्तर पर रिमोट सेन्सिंग, जी0आई0एस0, जी.पी.एस. एवं लिडार तकनीक संबधी कार्यों को निष्पादित किये जाने हेतु रिमोट

सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ.प्र. को "नोडल एजेन्सी" नामित किया गया है। अतः प्रदेश सरकार के सभी विभाग/स्वायत्तशासी संस्थायें/निकाय/स्थानीय निकाय, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ.प्र., से समन्वय स्थापित कर अपने विभाग में रिमोट सेन्सिंग, जी0आई0एस0, जी.पी.एस. एवं लिडार तकनीक संबधी कार्यों को भुगतान के आधार पर कराये जाने हेतु आवश्यक/आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या–सी0एम0–50/45वि/2018–7(15)वि/2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित (संलग्नकों सहित):–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उ.प्र. शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. कार्यवाहक निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ.प्र. लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( कुमार कमलेश )
अपर मुख्य सचिव